Industrial Training Institute
कौशलम् बलम्

कार्यालय प्राचार्य,
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,कोरबा

रामपुर जिला–कोरबा छ.ग. Pincode- 495677
Email id- itikrb@rediffmail.com, Tel.-07759-296533

Credible Chhattisgarh

क्र./औ.प्र.सं./स्था./मे.प्र. भर्ती/2026/ 962 कोरबा, दिनांक 10/04/2026

-:: प्रेस विज्ञप्ति ::-

जिला नोडल संस्था, **शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोरबा छ.ग.** के अंतर्गत **कोरबा** जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों **(कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद)** के विरूद्ध प्रशिक्षण सत्र 2026-27 हेतु मेहमान प्रवक्ता (गेस्ट लेक्चरर) के लिए आवेदन दिनांक 20/04/2026 समय-शाम 5 बजे तक स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत/स्पीडपोस्ट द्वारा आवेदन पत्र जिला नोडल संस्था **शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोरबा छ.ग. पिन- 495677** में जमा किये जा सकते है। पदों की जानकारी शैक्षणिक/तकनीकी योग्यताएं एवं निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :-

1. रिक्त पदों की जानकारी (कार्यरत नियमित प्रशिक्षण अधिकारी/संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद) :-

क्र.	जिला नोडल संस्था का नाम	संस्था का नाम	व्यवसाय/विषय	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोरबा (छ.ग.)	शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोरबा (छ.ग.)	वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं ईंजीनियरिंग ड्राईंग	01	
		शास. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पाली, जिला-कोरबा (छ.ग.)	वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं ईंजीनियरिंग ड्राईंग	01	
		कुल		02	

2. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता :-

स. क्र.	व्यवसाय का नाम	शैक्षणिक/तकनीकी अर्हताएं
1	वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं ईंजीनियरिंग ड्राईंग	1. मान्यता प्राप्त बोर्ड से हाईस्कूल अथवा पुरानी पद्धति से ग्यारहवीं अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र/राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण परिषद से राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि/पत्रोपाधि उत्तीर्ण 3. अभ्यर्थी डी.जी.टी. के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों (ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी.आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट.) से उत्तीर्ण।

टीपः-

1. इंजीनियरिंग शाखाओं की समतुल्यता/समकक्षता का निर्धारण प्रचलित विभागीय भर्ती नियम " छत्तीसगढ़ औद्योगिक प्रशिक्षण (अराजपत्रित) तृतीय श्रेणी भर्ती नियम 15 मई 2019 के अनुसार किया जावेगा।

1. (अ) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-

1. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में उल्लेखित तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के मेरिट के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।

2. प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदो के लिए सी.टी.आई./ए.टी.आई. आवश्यक है उन पदो के लिए एक वर्षीय सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/डिप्लोमा/डिग्री) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा। सी.टी.आई./ए.टी.आई. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में निर्धारित तकनीकी योग्यता धारी आवेदको के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।

3. मेहमान प्रवक्ताओ को आवश्यकतानुसार या अधिकतम एक प्रशिक्षण सत्र हेतु आंमत्रित किया जावेगा।

4. मेहमान प्रवक्ता द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण कार्य संतोष प्रद नही होने अथवा आचरण संतोषजनक नही होने की स्थिति में उसे सुनवाई का अवसर देते हुए स्पष्ट कारण दर्शाते हुए उसे प्रशिक्षण में जारी रखने अथवा पृथक करने का निर्णय संबंधित प्राचार्य/संस्था प्रमुख द्वारा लिया जा सकेगा।

5. शासन द्वारा नियमित/स्थानांतरित/संविदा पदस्थापना किये जाने की स्थिति में उन पदो पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओ की सेवाऐं स्वतः समाप्त हो जायेंगी।

6. मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित/स्थानान्तरित/संविदा पर पदस्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरूद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7. यदि किसी आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक **संस्थाओ/व्यवसायो** के लिये आंमत्रित किया जाता है, तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने में उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थाओ/व्यवसायो पर चयन स्वयंमेय निरस्त माना जायेगा।

8. पृथक-पृथक संस्थाओ/व्यवसायो के लिये पृथक-पृथक आवेदन पत्र जिले की नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जमा करना होगा।

9. मेहमान प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण कार्य के लिए प्रति घंटा **रू.140/- (रूपये एक सौ चालीस)** मात्र की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे के मानदेय का प्रावधान है प्रतिमाह अधिकतम **रू.15,000/- (रूपये पंद्रह हजार** मात्र) मानदेय होगा। जो कि समय-समय पर शासन द्वारा जारी दर के अनुसार परिवर्तनीय होगा।

10. **आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है।**

11. पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार कमी या बढ़ोत्तरी अथवा समाप्त की जा सकेगी। विज्ञापित पदों के अतिरिक्त किसी व्यवसाय में मेहमान प्रवक्ता की आवश्यकता होने की स्थिति में जिले के उस व्यवसाय के लिये तैयार की गई प्रतीक्षा सूची से उसकी पूर्ति करने के लिये जिले के नोडल प्राचार्य निर्णय ले सकेगें। यदि उस जिले में उस व्यवसाय की प्रतीक्षा सूची में उम्मीदवार उपलब्ध नही है, तो अन्य जिलों की प्रतीक्षा से पूर्ति करने के लिये क्षेत्रीय संयुक्त संचालक निर्णय ले सकेगें।

12. मेहमान प्रवक्ता के रूप में चयन उपरांत यदि वह निर्धारित की गयी अवधि तक कर्तव्य पर उपस्थित नहीं होता है तो उसका चयन निरस्त माना जा कर प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक-01 को अवसर दिया जायेगा। इसी क्रम से प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदको को अवसर दिया जायेगा।

(ब) <u>चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-</u>

1. आवदेन दिनांक 20/04/2026 समय-शाम 5 बजे तक अथवा इसके पूर्व स्वयं उपस्थित होकर अथवा पंजीकृत/स्पीडपोस्ट द्वारा आवेदन पत्र **शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, कोरबा छ.ग. पिन- 495677** में जमा किये जा सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किये जावेंगे। लिफाफे के उपर आवेदित संस्था एवं व्यवसाय का नाम का उल्लेख करना आवश्यक है। **अन्य संस्था में जमा किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेगें।**

2. आवेदन की अंतिम तिथि 20.04.2026 को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। जन्मतिथि के सत्यापन के लिये 10वीं की अंकसूची संलग्न करना अनिवार्य है।

3. **स्वयं का फोटोग्राफ एवं वांछित संलग्न सभी प्रमाणपत्र स्वप्रमाणित (स्वयं का हस्ताक्षर) होना अनिवार्य है। ऐसे आवेदन जिनमें स्वयं का फोटोग्राफ एवं आवश्यक प्रमाणपत्रों जिसके आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया है की संलग्न छायाप्रतियों पर स्वप्रमाणन के रूप में हस्ताक्षर नही किये जाने पर आवेदन को निरस्त /अमान्य किया जावेगा।**

4. **आवेदनपत्र के साथ संलग्न शपथ पत्र को सादे कागज में प्रस्तुत किया जाना है। चयनित होने के उपरान्त आवेदक को प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किये जाने पर आवेदन पत्र में दिये गये शपथपत्र को नोटरीकृत कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

5. **<u>आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाये जाने पर आवेदन को मान्य नहीं किया जायेगा।</u>**

6. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे तथा इस संबंध में आवेदकों को सूचना नहीं दी जाएगी।

7. यदि किसी आवेदक के विरूद्ध महिला उत्पीड़न का अथवा अन्य कोई अपराधिक अथवा दाण्डिक अथवा अनुशासन हीनता का प्रकरण हो तो प्रकरण की पूर्ण जानकारी आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य

हैं। चयन होने के उपरांत इस संबंध में जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल प्रशिक्षण कार्य से पृथक कर दिया जायेगा एवं अन्य कार्यवाहियां भी नियमानुसार की जा सकेगी।

8. पृथक-पृथक संस्थाओ/व्यवसायों/विषय के लिये पृथक-पृथक आवेदन पृथक-पृथक लिफाफे में जिले की नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में जमा करना होगा। आवेदन पत्र पर एक से अधिक व्यवसाय/विषय अथवा एक से अधिक संस्था का नाम अंकित होने पर आवेदन को निरस्त/अमान्य कर दिया जायेगा।

9. चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोंबाईल नम्बर सही एवं स्पष्ट भरें। दिए गए मोंबाईल नम्बर पर संपर्क ना हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।

10. मेहमान प्रवक्ताओं की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के तत्काल पश्चात सूची के क्रमानुसार आवेदकों को उनके दूरभाष / ई-मेल एड्रेस के माध्यम से आमंत्रित किया जायेगा एवं आवेदक को समस्त मूल दस्तावेजों के साथ संस्था में तत्काल अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। अतः आवेदक यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र में दिये गये मोबाईल नंबर एवं ई-मेल एड्रेस चालू अवस्था में रहें एवं उनका नियमित रूप से अवलोकन करते रहें।

11. जारी की जाने वाली चयनित सूचियां माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक-WP(S) No.4836/2020 श्री अनिल कुमार पाली एवं अन्य विरूद्ध छ.ग. शासन एवं अन्य) में पारित आदेश के अध्याधीन होगी।

(स) चयन प्रक्रिया नियम एवं शर्तें :-

1. तकनीकी व्यवसायों के लिए चयन की कार्यवाही क्रमशः निम्नानुसार की जावेगी-

(अ) प्रचलित सेवा भर्ती नियम में जिन पदो के लिए ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी. आई./आई.टॉट. आवश्यक है उन पदो के लिए एक वर्षीय ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर. वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र धारी अभ्यर्थियों के तकनीकी योग्यता (आईटीआई/शिक्षुता परीक्षा/डिप्लोमा/डिग्री/ पीजीडीसीए/बीसीए/एमसीए/बीबीए) के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर चयन किया जायेगा।

(ब) ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन.वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र धारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थितिमें निर्धारित तकनीकी योग्यताधारी आवेदको के चयन की कार्यवाही उनके तकनीकी योग्यता के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट सूची तैयार कर की जावेगी।

टीपः-

1. तकनीकी व्यवसायों के लिए आवेदकों की तकनीकी योग्यता के प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट अंकों की गणना कर चयन की कार्यवाही की जावेगी। मेरिट अंकों की गणना में ए.टी.आई./सी.टी.आई./एन. वी.टी. आई./आर.वी.टी.आई./आई.टॉट. के प्राप्तांकों को शामिल नहीं किया जावेगा।

2. यदि आवेदक के पास किसी व्यवसाय के पद के लिए एक से अधिक निर्धारित तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र जैसे राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र/ राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र/ इंजीनियरिंग में उपाधि/ इंजीनियरिंग में पत्रोपाधि /पीजीडीसीए/ बीसीए/एमसीए आदि उत्तीर्ण होने की स्थिति में जिस प्रमाण पत्र में सर्वाधिक प्रतिशत अंक होगें उसी प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची तैयार की जावेगी।

3. तकनीकी व्यवसायों के लिए ऐसे आवेदक जो राज्य व्यवसायिक प्रमाण-पत्र परीक्षा एवं राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण-पत्र परीक्षा उत्तीर्ण हैं, परन्तु राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र की अंकसूची में थ्योरी, वर्कशॉप कैल्कुलेशन एण्ड साईंस, इंजीनियरिंग ड्राईंग के प्राप्तांक नहीं हैं तो ऐसे प्रमाण पत्रों के उन आवेदकों के मेरिट की गणना उनके राज्य व्यवसायिक परीक्षा प्रमाण-पत्र के प्राप्तांकों के आधार पर किया जावेगा।

4. ऐसे राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र जिनमें केवल प्रेक्टिकल एवं सेशनल के अंक दिये गये हैं, अर्थात राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र की अंक सूची में थ्योरी, वर्कशॉप कैल्कुलेशन एण्ड साईंस, इंजीनियरिंग ड्राईंग के प्राप्तांक नहीं हैं तो उनका उपयोग मेरिट सूची में नहीं किया जा सकेगा।

प्राचार्य/नोडल अधिकारी
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
कोरबा, छ.ग.

मेहमान प्रवक्ता हेतु आवेदन पत्र

स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज फोटो

प्रति,

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,
शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था
कोरबा, छ.ग. पिन-495677

A. आवेदित संस्था का नाम(जिस संस्था में चयनित होने के लिए आवेदन किया जा रहा है):-
....

B. व्यवसाय/विषय का नाम ....

1. आवेदक का नाम :- ....

2. पिता का नाम :- ....

3. माता का नाम :- ....

4. जन्मतिथि :- ....

(शब्दो में) ....

5. क्या पूर्व में मेहमान प्रवक्ता अथवा संविदा प्रशिक्षण अधिकारी के रूप में सेवायें दी हैं तो उस संस्था का नाम/व्यवसाय/अवधी कब से कब तक :-...
....

6. अ) पत्राचार का पता :- ....
....
....

ब) दूरभाष/मोंबाईल नम्बर :-1. .... 2. ....

स) ई-मेल एड्रेस :- ....

7. स्थायी पताः- ....
....
....

8. शैक्षणिक योग्यता एवं तकनीकी योग्यताः-

क्र.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/ विवि का नाम	व्यवसाय/विषय	पूर्णांक	प्राप्तांक
1						
2						
3						
4						

9. अन्य :-..

शपथपत्र

मैं सहमत हूँ कि-

1. मैं संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण, रायपुर द्वारा सुनिश्चित किया गया एवं समय-समय पर संशोधित/लागू मानदेय प्राप्त करूंगा/करूंगी।
2. मेरे द्वारा उपरोक्त की गई जानकारी एवं सभी प्रस्तुत प्रमाणपत्र सही है। प्रशिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित करने पर मैं इस बात का नोटराइज्ड शपथपत्र भी प्रस्तुत करूंगा कि यदि जानकारी या प्रस्तुत प्रमाणपत्र गलत पाये जाते है तो मेरा चयन निरस्त किया जा सकेगा एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जा सकेगी।
3. मेरे विरूद्व किसी भी महिला उत्पीड़न अथवा अपराधिक प्रकरण में संलिप्तता अथवा दाण्डिक प्रकरण अथवा अनुशासन हीनता की जानकारी बाद में प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।
4. मै कभी नियमित पद हेतु दावा नही करूंगा तथा यह चयन इस सत्र के लिए या आवश्यकता रहने तक या नियमित/संविदा कर्मचारी की पदस्थापना होने तक रहेगी। उसके लिए मैं सहमत हूँ।
5. मैं संस्था में प्राचार्य/ अधीक्षक या उनके अधिकृत कर्मचारी के अधिनस्थ के निर्देशानुसार कार्य करूंगा/करूंगी। कोई अनुशासन हीनता/गलती मेरे द्वारा की जाने की शिकायत मिलती है तो संबंधित प्राचार्य/ अधीक्षक मुझे सुनवाई का मौका देते हुए यदि आवश्यक हुआ तो मुझे प्रशिक्षण कार्य से हटा सकेगें।
6. मै एक से अधिक संस्थाओं हेतु उक्त पद के लिये आवेदन करता/करती हूँ एवं चयन भी हो जाता है तो मैं एक ही व्यवसाय एवं संस्था में प्रशिक्षण कार्य हेतु उपस्थित हो जाऊँगा दूसर व्यवसाय अथवा संस्था के लिए चयन स्वमेव निरस्त समझा जावेंगा।
7. मुझे ज्ञात है कि मेहमान प्रवक्ताओ की मुख्य सूची एवं प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने पर एवं चयनित होने पर संबंधित संस्था में तत्काल अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य होगा।
8. मैं यदि किसी संस्था में पूर्व में संविदा प्रशिक्षण अधिकारी/मेहमान प्रवक्ता रह चुका/चुकी हूँ, तो उसका विवरण एवं छोड़ने संबंधी कारण तथा कार्य प्रणाली दर्शाने वाला प्रमाणपत्र संलग्न कर प्रस्तुत है।

संलग्नक :-

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम ....

पता ....

....

मों. नं..

टीप :- 1 योग्यता से संबंधित सभी एवंअन्य प्रमाणपत्र स्वयं द्वारा सत्यापित कर लगाये जावे।

2 प्रत्येक व्यवसाय/विषय के लिए पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत किये जावे।

3 छत्तीसगढ़ का निवासी होने का प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में संलग्न करें।

4 यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध पूर्व में महिला उत्पीड़न/अपराधिक/दाण्डिक प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया है अथवा विचाराधीन है, तो उसकी जानकारी आवेदन के सार्थ पृथक से अवगत कराना अनिवार्य है। इस संबध मे जानकारी आवेदन पत्र में नहीं दिये जाने पर एवं बाद में इसकी जानकारी प्राप्त होने पर प्रशिक्षण कार्य से मुक्त कर दिया जायेगा।

5. जिले के अंतर्गत समस्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए जिला नोडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में ही आवेदन पत्र प्रेषित करना है।

घोषणा पत्र

मै .... पुत्र/पुत्री/पत्नी....................................

निवासी................................. यह सत्यापित एवं घोषित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी जानकारी सही एवं सत्य है। यदि दी गयी कोई भी जानकारी भविष्य में असत्य या भ्रमक पाया जाता है तो उसके लिये स्वयं उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। इस घोषणा पत्र में उल्लेखित तथ्यों को मैनें स्वयं पढ़ा/समझा है, और यह मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

दिनांकः- ....

स्थानः- ....

हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम ....